न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारी: अतुल प्रकाश, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 34/2018

उनवान

(1) मदनसिंह पिता हडमतसिंह जाति राजपुत निवासी खाखरीयागडा तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा।
(2) ईश्वरसिंह पिता हडमतसिंह जाति राजपुत निवासी खाखरीयागडा तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा।
(3) गुलाबसिंह पिता हडमतसिंह जाति राजपुरत निवासी खाखरीयागडा तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा।

—: वादीगण

बनाम

(1) रामसिंह पिता हडमतसिंह जाति राजपुत निवासी खाखरीयागडा तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा।
(2) गजराजंसिह पिता हडमतसिंह जाति राजपुत निवासी खाखरीयागडा तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा।
(3) तहसीलदार, तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा।

—: प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत – 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक: 18.03.2021

वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण के स्वामित्व और आधिपत्य की पैतृक कृषि भुमि खाता संख्या 63 (नया) व 52 (पुराना) के कमाशः सर्वे नम्बर 17 रकबा 0.16 हेक्टर, 30 रकबा 0.08 हेक्टर, 34 रकबा 0.08 हेक्टर, 48 रकबा 0.05 हेक्टर, 50 रकबा 0.01 हेक्टर, 83 रकबा 0.04 हेक्टर, 183 रकबा 0.39 हेक्टर, 184 रकबा 0.17 हेक्टर, 185 रकबा 0.30 हेक्टर, 186 रकबा 0.17 हेक्टर ,187 रकबा 0.17 हेक्टर, 188 रकबा 0.14 हेक्टर, 189 रकबा 0.08 हेक्टर, 296 रकबा 0.06 हेक्टर, 324 रकबा 0.08 हेक्टर, 326 रकबा 0.17 हेक्टर, 413 रकबा 0.11 हेक्टर, 414 रकबा 0.03 हेक्टर, 442 रकबा 0.30 हेक्टर, 487 रकबा 0.07 हेक्टर, 488 रकबा 0.07 हेक्टर, 489 रकबा 0.03 हेक्टर, 490 रकबा 0.02 हेक्टर, 491 रकबा 0.03 हेक्टर कुल खेत नंग 24 कुल रकबा 2.81 हेक्टर भुमि वाके गांव खाखरीयागड़ा तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा और खाता संख्या 309 (नया) 295 (पुराना) के कमशः सर्वे नम्बर 1793 रकबा 0.14 हेक्टर, 2351 रकबा 0.04 हेक्टर, 2352 रकबा 0.05 हेक्टर कुल खेत नंग 03 कुल रकबा 0.23 हेक्टर भुमि वाके गांव आसन तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा में स्थित है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण आपस मे सगे भाई होकर संयुक्त रूप से खातेदार थे। जिसमें से प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज हुआ है। उक्त भुमि पर प्रार्थीगण का अकेले ही कब्जा एवं स्वामीत्व है। अप्रार्थी नम्बर 01 श्री रामसिंह जो कि सरदार सिंह के वहा पर दत्तकपुत्र (गोदपुत्र) के रूप में रह रहा है तथा सरदारसिंह की चल अंचल सम्पति का [illegible] तथा अप्रार्थी नम्बर 02 गजराजसिंह आज से करीब 22 वर्षो पूर्व गुलाबकु[illegible] केसरीसिंह राजपुत निवासी खाखरीयागडा के वहा पर गोद चले ग[illegible] भुमि मे कोई हक अधिकार नही है, परन्तु अप्रार्थीगण[illegible] उनकी भी नाम हमारे साथ संयुक्त रूप से राजस्व रेकार्ड मे दर्ज हो गया है। जबकि[illegible] सरदारसिंह के वहा पर द[illegible] पुत्र के रूप में दिनांक 01.08.1996 को जरिये रजिस्टर्ड दस्ता[illegible]गोदनामा के श्री सरदारसिंह[illegible] पत्नि श्रीमति प्रताप कुंवर के द्वारा गोद लिया गया है तथा गजराजसिंह को गुलाबकुंवर पत्नि केसरीसिंह ने गोद लिया है। उनका हमारे पैतृक सम्पति मे अब किसी प्रकार का कोई हक एव अधिकार नही है व सम्पूर्ण खाते में प्रार्थीगण का ही कब्जा व काश्त है। जिस कारण से प्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Atul Prakash
Date: 2021.04.16 14:23:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

व उनके परिवारजनों को काफी समस्याओं का सामना करना पड रहा है। प्राथीगणों एवं अप्रार्थी नम्बर 01 की वंशावली निम्न है–

तखतसिंह पिता कुरसिंह

- हड़मतसिंह
  - भारतसिंह (लाऔलाद फौत दि. 30.08.2016)
  - मदनसिंह
  - गजराज़सिंह
  - ईश्वरसिंह
  - गुलाबसिंह
- सरदारसिंह(लाऔलाद फौत)
  - रामसिंह (दत्तक पुत्र)

वादग्रस्त भूमि में मौके पर प्रार्थीगणों एवं उसके परिवाजनो का कब्जा बना हुआ है परन्तु अप्रार्थी मौके पर विवाद कर रहे है जिस वजह से अप्रार्थीगण का नाम उक्त पैतृक भुमि से हटाया जाकर रिकार्ड दुरस्त किया जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण ने कई बार प्रार्थना पत्र दे कर अप्रार्थी का नाम पैकृत भुमि से हटाने हेतु निवेदन किया परन्तु उनके प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही नही की गई तथा उक्त पैकृत भुमि मे से अप्रार्थीगण का नाम नही हटाया गया। उक्त पैतृक भुमि मे से अप्रार्थी का नाम नही हटाने से प्रार्थीगणों को कई समस्याओं का सामना करना पड रहा है। इस वजह से अप्रार्थीगण का नाम उक्त पैतृक भुमि से हटाकर राजस्व रेकार्ड दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। इस हेतु वाद धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश हुआ।

वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण के नाम सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से श्री बी.बी.सिंह एंव प्रतिवादी संख्या 02 की ओर से श्री जगदीश सिंह चारण अभिभाषक का वकालातनामा पेश हुआ। प्रतिवादी संख्या 02 की ओर से जवाब पेश होकर वादीगण के वाद को स्वीकार करतें हुऐ वादग्रस्त भूमि से अपना नाम हटाये जाने हेतु सहमति प्रकट की गई। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से जवाब पैश होकर वादीगण के वाद को अस्वीकार करतें हुऐ कथन किया कि वादीगण व प्रतिवादी आपस में सगे भाई होकर संयुक्त रूप से खातेदार थें, लेकिन रामसिंह जो कि सरदारसिंह के वंहा दत्तक पुत्र गोद पुत्र के रूप में रह रहा है अस्वीकार करतें हुऐ अप्रार्थी संख्या 01 (गजराजसिंह के गुलाबकुंवर पत्नि केसरसिंह) के वहा गोद चले जाने के क्रम में अनभिज्ञता जाहिर करतें हुऐ स्वंय को सरदारसिंह की पत्नि प्रतापकुंवर द्वारा गोद लिया जाना स्वीकार करतें हुऐ कथन किया कि वादीगण व प्रतिवादी दोनों सगे भाई है व उनके पिता हड़मतसिंह व सरदारसिंह भी सगे भाई थें। हड़मतसिंह व सरदारसिह, तखतसिंह पिता कुरसिंह की औलाद थें। तखतसिंह की कुल जमीन का 1/2 हिस्सा नही हुआ है व हड़मतसिंह के पास सरदारसिंह से ज्यादा जमीन है, चूंकी रामसिंह सरदारसिंह के वंहा गोद गया हैं एंव सरदासिंह व हड़मतसिंह की 'जमीन बराबर होनी चाहिए लेकिन सरदारसिंह से हड़मतसिंह के पास जमीन ज्यादा है, हड़मतसिंह के भारतसिंह लाऔलाद फौत, मदनसिंह, गजराजसिंह, ईश्वरसिंह, गुलाबसिंह के पास सरदारसिंह की जमीन भी निकलती हैं, जिसका रामसिंह दत्तक पुत्र होने के नातें हिस्सेदार है। प्रकरण में निम्नानुसार तनकियात् कायम की गई:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Atul Prakash
Date: 2021.04.16 14:23:58 IST
Reason: SelfAttested

(1) आया वादीगण के स्वामित्व एंव आधिपत्य की पैतृक भूमि खाता संख्या 63 (नई) 52 (पुरानी) के कुल किता 24 रकबा 2.01 हे0 वाके ग्राम [illegible] गड़ा तथा खाता संख्या 309 (नई) 295 (पुरानी) के कुल किता 3 रकबा 0.23 हे0 भूमि वाके ग्राम आसन तहसील गढ़ी में स्थित है।

–: वादीगण

(2) आया वादीगण एंव प्रतिवादीगण आपस में सगे भाई होकर संयुक्त रूप से खातेदार दर्ज रेकार्ड हैं। प्रतिवादी संख्या 01 रामसिंह जो श्री सरदारसिंह तथा प्रतिवादी संख्या 02 गजराजसिंह जो श्रीमती गुलाबकुंवर के वहां गोद चले गये तथा उक्त दोनो प्रतिवादी का हमारे खाते की भूमि में

Scanned by CamScanner

कोई हक व अधिकार नही है। वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का ही कब्जा काश्त है। उक्त दोनों प्रतिवादीगण के गोद चले जाने के कारण उनका वादग्रस्त भूमि से नाम हटाना आवश्यक है।

—: वादीगण

(3) आया वादग्रस्त भूमि के वादीगण व प्रतिवादीगण संयुक्त खातेदार होना तथा प्रतिवादी संख्या 02 के श्रीमती गुलाबकुंवर के वहा गोद चले जाने से वादग्रस्त भूमि से प्रतिवादी संख्या 02 का नाम हटा दिया जाना स्वीकार है।

—: प्रतिवादी संख्या 02

(4) आया वादग्रस्त भूमि के वादीगण व प्रतिवादीगण संयुक्त खातेदार होना तथा प्रतिवादी संख्या 01 के श्री सरदारसिंह के वहा गोद रहना स्वीकार है। परन्तु प्रतिवादी श्री सरदारसिंह के वहां गोद गया है उस भूमि के सरदारसिंह व हडमतसिंह सगे भाई होने के कारण सरदारसिंह की भूमि के 1/2 भाग का प्रतिवादी संख्या 01 हकदार है।

(5) अनुतोषः— —: प्रतिवादी संख्या 01

प्रकरण वादी की साक्ष्य हेतु नियत किया जाने पर वादी अभिभाषक द्वारा वादी की ओर से प्रस्तुत वाद को ही वादी साक्ष्य होने का कथन करते हुए नियमानुसार प्रकरण को निर्णित कराने का निवेदन किया गया। प्रकरण में कायम की गई तनकियात् निम्नानुसार निर्णित की जाती हैः—

तनकी संख्या 01 को सिद्ध करने का भार वादीगण का है, वादीगण की ओर से वाद पत्र के समर्थन में प्रस्तुत जमाबन्दी संवत 2070 से 2073 अनुसार उक्त तनकी वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 02 को सिद्ध करने का भार वादीगण का है, वाद पत्र में वर्णित वंशावली अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण सगे भाई है, प्रतिवादी संख्या 01 रामसिंह खाता संख्या 63 (नई) 52 (पुरानी) की जमाबन्दी संवत 2070 से 2073 अनुसार सरदारसिंह के वहा गोद रहने तथा प्रतिवादी संख्या 02 गजराजसिंह मुताबिक रजिस्टर्ड गोदनामा श्रीमती गुलाबकुंवर के वहां गोद चले गये। इस कम में माननीय बोम्बे उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त दिनांक 30.11.2012 उनवान सोमनाथ राधाकृश्ना मोरे बनाम उज्वला सुधाकर वगैराह में पारित निर्णय अनुसार अन्य के गोद जाने वाले व्यक्ति के अपनी पैतृक भूमि से अधिकार समाप्त हो जाते है। उक्त तनकी वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 03 को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी संख्या 02 का है, प्रतिवादी संख्या 02 ने अपनी ओर से प्रस्तुत जवाब में अपना नाम वादग्रस्त भूमि से हटा दिया जाने का कथन किया है। अतः उक्त तनकी वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 04 को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी संख्या 01 का है, वाद पत्र में प्रस्तुत वंशावली अनुसार वादग्रस्त भूमि के मूल पुरूश तखतसिंह के दो पुत्र हडमतसिंह व सरदारसिंह होकर दोनो पैतृक भूमि के 1/2 हिस्से के खातेदार होने थे, सरदारसिंह के लाओलाद फोत होने एवं उनके द्वारा अपने भाई हडमतसिंह के पुत्र रामसिंह को गोद पुत्र के रूप में रखने से वादग्रस्त भूमि के वादीगण 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 01 रामसिंह 1/2 हिस्से के हकदार है। (खाता संख्या 63 (नई) 52 (पुरानी) की जमाबन्दी संवत 2070 से 2073) की भूमि दोनो पक्षों की पैतृक आराजी है, जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 01 का बराबर हिस्सा बनता है तथा (खाता संख्या 309 (नई) 295 (पुरानी) की भूमि वादी की पैतृक होने से प्रतिवादी संख्या 01 वं 02 के गोद चले जाने से उसमें प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का कोई अधिकार शेष नही रहता है। अतः उक्त तनकी आंशिक रूप से प्रतिवादी संख्या 01 के पक्ष में निर्णित की जाती है।

अतः पटवार हल्का करणपुर [illegible] खाता संख्या 63 (नई) 52 (पुरानी) कुल किता 24 रकबा 2.81 हे0 भूमि में दर्ज श्री [illegible] पिता हडमतसिंह एवं पटवार हल्का आसन के मौजा आसन [illegible] कुल किता 03 रकबा 0.23 हे0 भूमि में दर्ज गजराजसिंह [illegible] के नाम हटाये जाकर बाकि बदस्तूर दर्ज करने का आदेश दिया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Atul Prakash
Date: 2021.04.16 14:23:58 IST
Reason: SelfAttested

(अतुल प्रकाश)IAS
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified

Digitally signed by Atul Prakash
Date: 2021.04.16 14:23:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

डिक्री द मुकदमे की इब्तजाई

(आ. 20 नियम 17 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, मुकाम : गढ़ी द इजलास : अतुल प्रकाश (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 34/2018

इनवान

(1) मदनसिंह पिता हडमतसिंह जाति राजपुत निवासी खाखरियागढ़ा तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

(2) ईश्वरसिंह पिता हडमतसिंह जाति राजपुत निवासी खाखरियागढ़ा तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

(3) गुलाबसिंह पिता हडमतसिंह जाति राजपुरत निवासी खाखरियागढ़ा तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

-: वादीगण

बनाम

(1) रामसिंह पिता हडमतसिंह जाति राजपुत निवासी खाखरियागढ़ा तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

(2) गजराजसिंह पिता हडमतसिंह जाति राजपुत निवासी खाखरियागढ़ा तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

(3) तहसीलदार, तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

-: प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत – 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक: 18.03.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु अभिभाषकगण पेश होकर हुक्म दिया जाता हैं कि पटवार हल्का करणपुर के मौजा खाखरियागढ़ा की खाता संख्या 63 (नई) 52 (पुरानी) कुल किता 24 रकबा 2.81 हे0 भूमि में दर्ज श्री गजराजसिंह, रामसिंह पिता हडमतसिंह एंव पटवार हल्का आसन के मौजा आसन की खाता संख्या 309 (नई) 295 (पुरानी) कुल किता 03 रकबा 0.23 हे0 भूमि में दर्ज गजराजसिंह, रामसिंह पिता हडमतसिंह के नाम हटाये जाकर बाकि बदस्तुर दर्ज करने का आदेश दिया जाकर ईस आशय की डिक्री जारी की जाती है।

नोज शून्य मुबलिग शून्य बाबत् शून्य खर्चा इस मुकदमें के मय सूद द शरह शून्य प्रतिशत सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक शून्य का अदा करे।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत के आज दिनांक 18.03.2021 को जारी की गई।

(अतुल प्रकाश) IAS
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

मुदई	रुपया पैसा	मुद्दायलह	रुपया पैसा
स्टाप की अरजी दावा	शून्य	स्टाम्प वकालतनामा	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य
स्टाम्प वहज सबुत	शून्य	मेहनतनामा वकील	शून्य
मेहनतनामा वकील	शून्य	[illegible]	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	फी[illegible]	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	[illegible]	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	[illegible]	शून्य
मुतफरीक	शून्य	[illegible]	शून्य
कुल		कुल	शून्य

Signature Not Verified

Digitally signed by Atul Prakash
Date: 2021.04.16 14:23:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

Scanned by CamScanner